202

20रु. COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. / 2012–13 पुनरीक्षण R 883 - II /13

1. कन्हैयालाल पुत्र कृष्णकिशोर समेले
2. सुनील शर्मा पुत्र रूपनारायण शर्मा
3. पुष्पेन्द्र पुत्र गोकुल प्रसाद
4. पुष्पाबाई पत्नी राजाराम रावत
5. पप्पू पुत्र चतरा ढीमर
6. पप्पू बाढई पुत्र धंसू बाढई

निवासीगण ग्राम मालपीथा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1. रामसेवक पुत्र भागीरथ नाई
2. मनोहर पुत्र भागीरथ नाई
3. रामरतन पुत्र भागीरथ नाई
4. रामधुन पुत्र भागीरथ नाई
5. गुलजारी पुत्र भागीरथ नाई
6. पदमाराजा पुत्री लक्ष्मन सिंह ठाकुर
7. सुषमाराजा पुत्री जगदीश सिंह
8. रविन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर
9. राजेश कुमार पुत्र रामेश्वर
10. प्रभूदयाल पुत्र लटकन ब्रा.
11. रामजूराजा पत्नी सजेन्द्र सिंह
12. केशव दास पुत्र अनंदी
13. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
14. गुलजारी पुत्र भागीरथ
15. द्रोपदी पुत्री देशराज

मुकेश भार्गव
4-3-13 एडवोकेट
ग्वालियर

5/3/13

16. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
17. अरविंद सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह
18. मातादीन पुत्र सरिया बसोर
19. खिलन पुत्र सरिया बसोर
20. सरिया पुत्र अंसुआ बसोर

समस्त निवासीगण ग्राम मालपीथा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ द्वारा प्र.कं.128/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31.1.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदकगण एवं अन्य द्वारा तहसील न्यायालय एंव कलैक्टर टीकमगढ के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने पर उक्त प्रकरण कायम किया गया था जिसमें अनावेदकगणों के बिना किसी आदेश के जारी पटटों को तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.12.11 द्वारा निरस्त कर पुनः भूमि राजस्व अभिलेख में म.प्र. शासन इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये थे। अनोवदकगण की हेरा फेरी के संबंध में कलेक्टर महोदय को भी तहसीलदार मोहनगढ ने प्रतिवेदन भेजा था।

3– यह कि, वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण भी काबिज है खसरा पांचशाला के कब्जा कॉलम में वर्ष 2011 तक इन्द्राज है इस प्रकार वह एक आवश्यक हितबद्ध पक्षकार है एवं तहसील न्यायालय में भी आवेदकगण की शिकायत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-883-दो/2013 जिला टीकमगढ़ कन्हैयालाल विरूद्ध रामसेवक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 128/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31-01-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	